रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112020-223189
CG-DL-E-19112020-223189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942**
No. 503] **NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2020

मि.सं. 1-2/2018 (सीपीपी-I/डीयू).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतदद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा

1. (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में, विनियम 19.0 के खंड (iii) में, "सम विश्वविद्यालय संस्थान के संकाय" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, यथा:-

"निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, अर्थात्:-

(क) विनियम 7.01 के अधीन अनुमोदित सम विश्वविद्यालय संस्थान कोई समझौता या व्यवस्था कर सकते हैं यदि -

(I) ऐसे संस्थान की स्थापना, अनुरक्षण या संचालन की अनुमति संसद के किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दी जाती है; और

(II) इसने उप-विनियम 7.01.2 की प्रक्रिया को छोड़कर, विनियम 7.01 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए उप-विनियम 7.01.1 के अधीन एक आवेदन किया है।

और परिसर की स्थापना ऐसे समझौते या व्यवस्था के अधीन की जानी है -

(क) जब तक ऐसा समझौता या व्यवस्था ऐसे कानून के अधीन मान्य रहता है, तब तक सम विश्वविद्यालय संस्थान को ऑफ-कैंपस केंद्र के रूप में माना जाएगा; और

(ख) अगर सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में 'लाभ अर्जित नहीं करने वाली' इकाई के रूप में लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों के अधीन हो;

(ख) विनियम 7.01 के अधीन अनुमोदित सम विश्वविद्यालय संस्थान एक कौशल उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों के प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए समझौता या व्यवस्था कर सकते हैं यदि इस तरह के पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संसद के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./370/2020-21]

टिप्पणी : मूल विनियम 20 फरवरी, 2019 को मि.सं. 1-2/2018 (सीपीपी-I/डीयू) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित किए गए थे।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2020

F. No. 1-2/2018 (CPP-I/DU).—In exercise of the powers conferred under clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following amendments in the UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2019 namely:

1. (1) These regulations may be called the UGC [Institutions Deemed to be Universities] Amendment Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2019, in regulation 19.0, in clause (iii), after the words "faculty of the Institution Deemed to be University", the following shall be inserted, namely:-

"except in the following cases, namely:-

(a) The Institution Deemed to be University approved under regulation 7.01 may enter into an agreement or arrangement if –

(I) the establishment, maintenance or operation of such institution is permitted under any Act of Parliament or the rules or regulations made thereunder; and

(II) it has made an application under sub-regulation 7.01.1 after following the procedure specified in regulation 7.01, except the procedure in sub-regulation 7.01.2,

and the campus to be established under such agreement or arrangement shall be –

(A) treated as an off-campus centre of the Institution Deemed to be University as long as such agreement or arrangement remains valid under such law; and

(B) subject to similar standards of audit and disclosure as a 'not-for-profit' entity as that of the Institution Deemed to be University;

(b) the Institution Deemed to be University approved under regulation 7.01 may enter into agreement or arrangement for practical training of students of a skill oriented vocational course if such course is approved by the University Grants Commission or any other body established under any Act of Parliament."

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./370/2020-21]

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* F.No. 1-2/2018(CPP-I/DU), dated the 20th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.11.19 19:54:30 +05'30'